

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—113/12 (2012/00074) वाद पत्र

उनवान

1—कान सिंह आत्मज हरि सिंह राजपूत निवासी बागड़ तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1—कानानाथ आत्मज जेतुनाथ जोगी ना.बे.ज. माता पानी पत्नि जेतुनाथनि0 बागड का खेड़ा
- 2—किशननाथ आत्मज जेतुनाथ जोगी ना.बे.ज. माता पानी पत्नि जेतुनाथ नि0 बागड का खेड़ा
- 3—पारसनाथ आत्मज जेतुनाथ जोगी ना.बे.ज. माता पानी पत्नि जेतुनाथनि0 बागड का खेड़ा
- 4—अनिता पुत्री जेतुनाथ जोगी ना.बे.ज. माता पानी पत्नि जेतुनाथनि0 बागड का खेड़ा
- 5—लछमी पुत्री जेतुनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—मेमा पुत्री जेतुनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—टमुड़ी पुत्री जेतुनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—पानीबाई पत्नि जेतुनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9—गिरधारीनाथ आत्मज गोकलनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर
- 10—सुवानाथ आत्मज गोकलनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर
- 11—हुक्मानाथ आत्मज गोकलनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर
- 12—बक्सुनाथ आत्मज संतोकनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 13—रेखा पुत्री संतोकनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 14—सोवनी पत्नि संतोकनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 15—श्रवणनाथ आत्मज भैरुनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 16—धन्नानाथ आत्मज आसुनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17—शम्भुनाथ आत्मज आसुनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 18—लेहरी पत्नि आसुनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 19—सुरजकवंर पत्नि कान सिंह निवासी बागड़ तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 20—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 13.02.2020

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित साबिक खाता संख्या 37 में अकित साबिक कृषि आराजी संख्या 120 रकबा 4 बिघा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 136 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 140 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 145 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 148 रकबा 1 बिघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 149 रकबा

1 बिघा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 189 रकबा 3 बिघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 141 बिघा 4 बिस्वा, कुल किता 8 कुल रकबा 14 बिघा 1 बिस्वा स्थित थी जिसमें 1/5 हिस्सा वादी का 1/5 हिस्सा जेदुनाथ, गिरधारीनाथ, सुवानाथ, हुक्मानाथ आत्मज गोकलनाथ तथा 3/5 हिस्सा भैरुनाथ, सुवानाथ, नारुनाथ आत्मज छोगा नाथ का दर्ज रेकार्ड था। इसी तरह साबिक साबिक खाता संख्या 81 में अंकित आराजी संख्या 142 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0आचा स्थित है तथा साबिक खाता संख्या 60 में अंकित आराजी संख्या 207 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0 खड़डा में भैरुनाथ का 1/20 हिस्सा तथा गै0मु0 आराजी चाह में वादी का 1/10 हिस्सा एवं भैरुलाल का 1/10 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। वादी ने वादपत्र की कलम न0 1 में अंकित साबिक कृषि आराजियात मे से आराजी संख्या 136 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 140 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 145 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 148 रकबा 1 बिघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 149 रकबा 1 बिघा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 189 रकबा 3 बिघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 141 रकबा 4 बिस्वा, कुल किता 7 कुल रकबा 9 बिघा 2 बिस्वा में भैरुनाथ आत्मज छोगानाथ का 1/5 हिस्सा, साबिक आराजी संख्या 207 रकबा 1 बिस्वा में दर्ज भैरुनाथ का 1/20 हिस्सा तथा आराजी संख्या 142 रकबा 4 बिस्वा में दर्ज भैरुनाथ का 1/10 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 01.12.2000 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा वादी द्वारा क्रय किये गये उक्त हिस्से का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नामान्तरणकरण संख्या 405 दिनांक 26.01.2001 को हो गया वादी भैरुनाथ के हक एवं हिस्से की भूमियो पर क्रय की दिनांक से काबिज होकर काफ्त करता चला आ रहा है। वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित साबिक कृषि आराजियात मे से आराजी संख्या 120 रकबा 4 बिघा 19 बिस्वा के अलावा सम्पूर्ण भूमियो में भैरुनाथ आत्मज छोगा नाथ के 1/5 हिस्से वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया। नारुनाथ लाऔलाद फोट हो गया तथा भैरुनाथ भी फोथ हो गया, भैरुनाथ के वारीसान प्रतिवादी सं. 12 से 15 है नारुनाथ एवं भैरुनाथ की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरणकरण संख्या 409 दिनांक 12.10.2001 निर्णत किया गया जिसमे तत्कालिन पटवार हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी से प्रतिवादीगण से मिली भगत कर गलत हिस्से अंकित कर दिये गये है जिन्हे दुरस्त कराया जाना आवश्यक हो गया है। बहक वादी विरुद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावे कि ग्राम मियाला में स्थित नवीन खाता संख्या 18 में अंकित कृषि आराजी संख्या 230, 285 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 तथा नवीन खाता संख्या 20 में आराजी संख्या 225, 229, 234, 237, 238 कुल किता 5 कुल रकबा 1.28 है0 में वादी 2/5 हिस्से तथा नवीन खाता संख्या 44 में अंकित आराजी संख्या 231 गै0मु0आ.चाह में 1/5 हिस्सा तथा खाता संख्या 80 में अंकित आराजी संख्या 303 में 1/20 हिस्से का वादी खातेदार कास्तकार है तदानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे। बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी ग्राम मियाला की आराजी संख्या 225, 229, 230, 234, 237, 238, 285, 231, 303 में वादी के हिस्से के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वय कर, न किसी अन्य से करावे तथा वादी के हिस्से को किसी अन्य से रहन, बय, बक्षीस नही करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 05.12.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया दिनांक 20.06.2013 को लिया जा चुका था। वादी



की ओर से प्रकरण में वादपत्र के समर्थन में वादी कान सिंह की ओर से शपथ पत्र के रूप में बयान प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है एवं इसके साथ में जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 मिलान क्षेत्रफल, विक्रय पत्र, हाल जमाबन्दी, नामान्तरणकरण आदि पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी संख्या 20 तहसीलदार रायपुर द्वारा वाद पत्र को स्वीकार करते हुए वादी का कय शुदा हिस्सा 1/5 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना उचित बताया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया तो पाया कि वाद पत्र में अकिंत आराजियात में वादी का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जाना भूमिधारी तहसीलदार रायपुर के द्वारा बताया गया जो उचित है।


उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

अतः ग्राम मियाला में स्थित नवीन खाता संख्या 18 में अकित कृषि आराजी संख्या 230, 285 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है० में कानानाथ, किशननाथ पारसनाथ, पिता जेतुनाथ ना०बा०बे०वि० माता पानी लछमी मेमा टमूड़ी अनीता पुत्रीया जेतुनाथ अनीता ना०बा०बे०वि० माता पानी, पानी बेवा जेतुनाथ गिरधारीनाथ सुवानाथ हुक्मानाथ पिता गोकलनाथ 1/5, बक्षुनाथ पिता संतोकनाथ सोवनी बेवा संतोकनाथ रेखा पुत्री संतोकनाथ श्रवणनाथ पिता भैरुनाथ 1/5, सुरजकंवर पत्नि कानसिंह 1/5, वादी कान सिंह पिता हरि सिंह का 2/5 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं आराजी नम्बर 303 में जेतुनाथ गिरधारीनाथ सुवानाथ हुक्मानाथ पिता गोकलनाथ धन्नानाथ शम्भुनाथ पिता आसुनाथ सुरज कंवर पत्नि कानसिंह श्रवणनाथ शम्भुनाथ पिता आसुनाथ बे०वि० माता लेहरी बेवा आसुनाथ 1/4 के बजाय जेतुनाथ गिरधारीनाथ सुवानाथ हुक्मानाथ पिता गोकलनाथ धन्नानाथ शम्भुनाथ पिता आसुनाथ श्रवणनाथ शम्भुनाथ पिता आसुनाथ बे०वि० माता लेहरी बेवा आसुनाथ, सुरजकंवर पत्नि कानसिंह 1/5 कान सिंह पिता हरि सिंह 1/20, हिस्सा दर्ज किया जावे एवं आराजी संख्या 231 गै०मु०आ.चाह में नारुनाथ, गोकलनाथ, भैरुनाथ पिता छोगानाथ सुरजकंवर पत्नि कानसिंह कान सिंह पिता हरिसिंह 1/2 के बजाय नारुनाथ गोकलनाथ पिता छोगानाथ 1/5 सुरजकंवर पत्नि कानसिंह 1/10 कानसिंह पिता हरिसिंह 1/5 हिस्सा बदस्तुर जमाबन्दी खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




13.2.2020
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-113/12 (2012/00074) वाद पत्र

उनवान

1-कान सिंह आत्मज हरि सिंह राजपूत निवासी बागड़ तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-कानानाथ आत्मज जेतुनाथ जोगी ना.बे.ज. माता पानी पत्नि जेतुनाथनि0 बागड का खेड़ा
- 2-किशननाथ आत्मज जेतुनाथ जोगी ना.बे.ज. माता पानी पत्नि जेतुनाथ नि0 बागड का खेड़ा
- 3-पारसनाथ आत्मज जेतुनाथ जोगी ना.बे.ज. माता पानी पत्नि जेतुनाथनि0 बागड का खेड़ा
- 4-अनिता पुत्री जेतुनाथ जोगी ना.बे.ज. माता पानी पत्नि जेतुनाथनि0 बागड का खेड़ा
- 5-लछमी पुत्री जेतुनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-मेमा पुत्री जेतुनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-टमुड़ी पुत्री जेतुनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-पानीबाई पत्नि जेतुनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-गिरधारीनाथ आत्मज गोकलनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर
- 10-सुवानाथ आत्मज गोकलनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर
- 11-हुक्मानाथ आत्मज गोकलनाथ जोगी निवासी नि0 बागड का खेड़ा तहसील रायपुर
- 12-बक्सुनाथ आत्मज संतोकनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 13-रेखा पुत्री संतोकनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 14-सौवनी पत्नि संतोकनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 15-श्रवणनाथ आत्मज भैरूनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 16-धन्नानाथ आत्मज आसुनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17-शम्भुनाथ आत्मज आसुनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 18-लेहरी पत्नि आसुनाथ जोगी निवासी नि0 मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 19-सुरजकवंर पत्नि कान सिंह निवासी बागड़ तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 20-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि अतः ग्राम मियाला में स्थित नवीन खाता संख्या 18 में अकित कृषि आराजी संख्या 230, 285 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 में कानानाथ, किशननाथ पारसनाथ, पिता जेतुनाथ ना0बा0बे0वि0 माता पानी लछमी मेमा टमूड़ी अनीता पुत्रीया जेतुनाथ अनीता ना0बा0बे0वि0 माता पानी, पानी बेवा जेतुनाथ गिरधारीनाथ सुवानाथ हुक्मानाथ पिता गोकलनाथ 1/5, बक्षुनाथ पिता संतोकनाथ सोवनी बेवा संतोकनाथ रेखा पुत्री संतोकनाथ श्रवणनाथ पिता भैरूनाथ 1/5, सुरजकंवर पत्नि कानसिंह 1/5, वादी कान सिंह पिता हरि सिंह का 2/5 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं आराजी नम्बर 303 में जेतुनाथ गिरधारीनाथ सुवानाथ हुक्मानाथ पिता गोकलनाथ धन्नानाथ शम्भुनाथ पिता आसुनाथ सुरज कंवर पत्नि कानसिंह श्रवणनाथ शम्भुनाथ पिता आसुनाथ बे0वि0 माता लेहरी बेवा आसुनाथ 1/4 के बजाय जेतुनाथ गिरधारीनाथ सुवानाथ हुक्मानाथ पिता गोकलनाथ धन्नानाथ शम्भुनाथ पिता आसुनाथ श्रवणनाथ शम्भुनाथ पिता आसुनाथ बे0वि0 माता लेहरी बेवा आसुनाथ, सुरजकंवर पत्नि कानसिंह 1/5 कान सिंह पिता हरि सिंह 1/20, हिस्सा दर्ज किया जावे एवं आराजी संख्या 231 गै0मु0आ.चाह में नारूनाथ, गोकलनाथ, भैरूनाथ पिता छोगानाथ सुरजकंवर पत्नि कानसिंह कान सिंह पिता हरिसिंह 1/2 के बजाय नारूनाथ गोकलनाथ पिता छोगानाथ 1/5 सुरजकंवर पत्नि कानसिंह 1/10 कानसिंह पिता हरिसिंह 1/5 हिस्सा बदस्तुर जमाबन्दी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 13.02.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Sundar Lal Bumbola
13-2-2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

